फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर शाहजहाँपुर

मनोहर — बनाम — कबूल हैदर वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष 5/22 : 14/2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/3/22	वकील अमन यस उप० / वकील वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया कि आ० वा० सं० 696/2002 रकबा 0.20 है० 736/0.21, 738/0.53 है० कुल किता 3 रकबा 0.94 है० वाके ग्राम अमरहट तह० शाहजहाँपुर में स्थित है, जिसमें वादी स० 1 का हिस्सा 9/32, वादी स० 2 का हिस्सा 9/32, अवादी स० 1 लगा० 4 का हिस्सा 9/32 व तरतीबी अवादी स० 6 लगा० 10 का हिस्सा 5/16 का 1/32 है। इसप्रकार वादीगण व अवादीगण की शामलाती फलि है, जो सभी खातेदार अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त फलि का कानूनी बटवारा नहीं हुआ है। अवादीगण विशिष्ट स्थान पर निर्माण कार्य कर सकने के लालची फलि पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं, उक्त आराजी का कानूनी बटवारा नहीं हुआ है, अतः अवादीगण को वाद सला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजीयात में वादीगण के हिस्से की फलि पर कच्चे काश्त, अपना उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न पैदा नहीं करें, ना ही पक्का कच्चा निर्माण कार्य नहीं करें। मौके पर बाबत रिकार्ड की स्थितिबिन्दु गाने रखने हेतु पाबन्द करें। वकील वादी ने उपरोक्त जवाब दा० पत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया कि वादीगण व अवादीगण के अर्सा 8-9 वर्ष पूर्व उक्त आराजी का बाकायदा बटवारा कर रखा है। अवादीगण बाकायदा बटवारे के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कर रहे हैं। अवादीगण बाकायदा बटवारे के अनुसार अपने अपने काश्त की फलि पर निर्माण कार्य कर रहा है। अवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मुद्दा वादीगण डिक्रीड स्थायी है। अतः दा० पत्र T स्थायी किया फरमाया जावे। सलाबली का अवलोकन किया बहस पर फैसला किया। मूल वाद बटवारे हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का है। उक्त आराजी का अभी कानूनी बटवारा नहीं हुआ है; नहीं

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

मसौदा बनाम कबूल देवी

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा

संख्या 14/20 प्र.प.बी.टी.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/3/21	अपीलार्थी ने बाकली कारबाई के सम्बन्ध में कोई इस्तावेज पेश नहीं है। अतः पक्षकारों में जारी अन्तरिम T.I. आदेश दिनांक 26/2/20 को स्थाई किया जाकर मुकदमे के निस्तारण तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है पक्षकारों को मुकदमा दोयम नम्बर दर्ज हो। मुकदमे के हमदीगर रहे।	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner